राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः प.1(1)/चिस्वा/ग्रुप–2/2020/ जयपुर, दिनांकः 30/07/2020

परिपत्र

विषयः COVID-19 से हो रही जनहानि को रोकने व गंभीर मरीजों के उपचार हेतु **TOCILIZUMAB** एवं **REMEDESIVIR** के उपयोग के क्रम में निर्देश।

जैसा कि विदित है COVID-19 के सफल Management में सबसे महत्वपूर्ण कोरोना के कारण होने वाली जनहानि को रोकना है। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी समय–समय पर निर्देशित किया गया है। **कोविड–19 से Critically रूप से प्रभावित Patients के इलाज हेतु SMS Hospital के वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा TOCILIZUMAB एवं REMDESIVIR का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। SMS Hospital के द्वारा Treatment के उक्त Protocol की सफलता के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में उपयोग हेतु उक्त Injections, Medical Colleges के स्तर पर उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार Demand की पूर्ति RMSCL के द्वारा की जाती रहेगी।** समस्त जिला अस्पतालों में उक्त Injections की आवश्यकता होने पर इन्हें नीचे दी गई सारणी के अनुसार Medical Colleges से प्राप्त किया जा सकता है–

क्रम संख्या	मेडिकल कॉलेज का नाम	संबद्ध जिले
1	एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	जयपुर, अलवर, दौसा, झुन्झुनू, सीकर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर
2	डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही
3	सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू
4	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा	कोटा, बांरा, बूंदी, झालावाड़
5	जे. एल. एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर	अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा,
6	आर. एन. टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़

राज्य स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञ समूह **(State Level Medical Expert Core Group)** के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि उक्त Injections का उपयोग **गंभीर मरीजों**

में समुचित Testing के उपरांत आवश्यकता होने पर ही विशेषज्ञों के Supervision में किया जाना चाहिए। **अतः जिला अस्पतालों द्वारा उक्त Injections का Treatment Protocol के अंतर्गत उपयोग संबंधित Medical College की वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम के दिशा–निर्देश में ही किया जाए। साथ ही SMS Medical College की टीम के द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण एवं ऐसे प्रकरणों की सतत् Audit/समीक्षा की जाएगी।**

साथ ही जिले के PMO से यह भी अपेक्षित है कि COVID-19 Patients के **गंभीर** होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार SMS Medical College की टीम से परामर्श कर Patient को Plasma Therapy अथवा उपरोक्त Injections के द्वारा Treatment देने हेतु निकटस्थ Medical College में भी Refer किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना कर COVID-19 से होने वाली जनहानि को रोकने के संपूर्ण प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. समस्त संभागीय प्रभारी सचिव।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवाएं कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
9. समस्त संभागीय आयुक्त।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. Principal, All Medical Colleges.
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
13. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.।

शासन उप सचिव–II